न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 57/2019 निर्णय दिनांक :–18.03.2021

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

बद्री पुत्र मांग्या जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. घीस्सा पुत्र मांग्या जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. शाखा प्रबन्धक अरावली क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक जिला टोंक राज0
4. तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–
श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री विरेन्द्र जैन
श्री रामदेव वर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 157 रकब 2 बीघा 19 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 157 रकबा 2 बीघा 19 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 4 बीघा 16 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 183 रकबा 3 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 294 रकबा 15 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1330 रकबा 9 बीघा 12 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1331 रकबा 3 बीघा 14 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1332 रकबा 3 बीघा 18 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1341 रकबा 26 बीघा 9 बीस्वा कुल 9 किता कुल रकबा 52 बीघा 06 बीस्वा जो वाके थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 की पिता मांग्या (मांगीया) पुत्र धूला जाट से विरासत से प्राप्त हुई थी उक्त भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 मौके पर 1/2–1/2 हिस्सेनुसार काश्त करते चले आ रहे थे और आज भी उसी विभाजन पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सवंत 2025 से 2028, जमाबन्दी सवंत 2029 से 2032 एवं इससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड के दस्तावेजों में दर्ज राजस्व रिकार्ड के दस्तावेजों में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 की संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही थी इसी दरमियान हाल ही में देवली मे बन्दोबस्त कार्यवाही प्रारम्भ हो गई और दौराने सेटलमेंट कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा काफी अनियमितता की गई। इसी के चलते प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 की संयुक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 157 रकबा 2 बीघा 19 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 4 बीघा 16 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 183 रकबा 3 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर

रकबा 15 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1330 रकबा 9 बीघा 12 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1331 रकबा 3 बीघा 14 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1332 रकबा 3 बीघा 18 बीस्वा, साबिक खसरा नम्बर 1341 रकबा 26 बीघा 9 बीस्वा कुल 9 किता कुल रकबा 52 बीघा 06 बीस्वा के नये हाल खसरा नम्बर 1464 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2876 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 2876/3948 रकबा 3.75 है0, खसरा नम्बर 1273 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2873 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 2874 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2878 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 1445 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1448 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1470 रकबा 0.01 है0 बनते हुये उक्त संयुक्त भूमि को बिना प्रार्थी की सहमति लिये प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 अलग अलग (विभाजन) खाते मे अंकन कर दिया गया और उक्त संयुक्त भूमि विभाजन/प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 01 के अलग अलग खाता कायम करते हुये वादी के खातेदारी में नये हाल खसरा नम्बर 1464 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2876 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 2876/3948 रकबा 3.75 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 5.61 है0 भूमि एवं प्रतिवादी नम्बर 01 की खातेदारी में खसरा नम्बर 1273 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2873 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 2874 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2878 रकबा 0.78 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 8.69 है0 तथा खसरा नम्बर 1445 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1448 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1470 रकबा 0.01 है0 कुल किता 03 रकबा 0.03 है0 गै0मु0चाह को प्रार्थी अप्रार्थी नम्बर 1 की संयुक्त खातेदारी मे दे दिया गया। दौराने सेटलमेंट कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रार्थी नम्बर 01 संयुक्त भूमि अलग–अलग खाता कायम करते हुये खसरा नम्बर 1464 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2876 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 2876/3948 रकबा 3.75 है0, खसरा नम्बर 1273 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2873 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 2874 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2878 रकबा 0.78 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 14.30 है0 भूमि में से प्रार्थी को खसरा नम्बर 1464 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2876 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 2876/3948 रकबा 3.75 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 5.61 है0 भूमि ही दी गई जबकि कुला रकबा 14.30 है0 भूमि मे से आधी भूमि रकबा 7.15 है0 भूमि देनी चाहिये थी (मिलनी चाहिये थी) वही अप्रार्थी नम्बर 01 कुल रकबा 14.30 है0 भूमि मे से खसरा नम्बर 1273 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2873 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 2874 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2878 रकबा 0.78 है0 कुल किता 08 कुल

रकबा 8.69 है0 दे दी गई जबकि अप्राथी नम्बर 01 को कुल रकबा 14.30 है0 में से आधी भूमि रकबा 7.15 है0 भूमि देनी चाहिये थी (मिलनी चाहिये थी) और अप्रार्थी नम्बर 1 के रकबा 1.54 है0 भूमि ज्यादा दे दी गई (अंकन) कर दी गई। जबकि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 कुल रकबा 14.30 है0 मे से आधी–आधी भूमि अर्थात प्रार्थी रकबा 7.15 है0 भूमि, अप्रार्थी नम्बर 1 रकबा 7.15 है0 भूमि पर काबिज होकर काश्त करते थे और आज भी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर खसरा नम्बर 1464 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2876 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 2876/3948 रकबा 3.75 है0, खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0 मे से रकबा 1.54 है0 को कुल रकबा 7.15 है0 काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 खसरा नम्बर 1273 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2873 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 2874 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2878 रकबा 0.78 है0 मे से 0.20 है0 कुल रकबा 7.15 है0 पर काश्त कर रहा है। ग्राम थांवला से अलग होकर नवीन राजस्व ग्राम श्रीनगर आदि बन जाने से उक्त खसरा नम्बर 1464 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 1446 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2876 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 2876/3948 रकबा 3.75 है0, खसरा नम्बर 1273 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2873 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 2874 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2878 रकबा 0.78है0, खसरा नम्बर 1445 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1448 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1470 रकबा 0.01 है0 के नये हाल खसरा नम्बर 919 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 2451 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 2452 रकबा 3.75 है0, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 920 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2448 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2449 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2453 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2454 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 918 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 943 रकबा 0.01 है0 वाके थांवला बनाये गये। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0 के नये हाल खसरा नम्बर 2453 रकबा 1.74 है0 में से रकबा 1.54 है0 को सेटलमेंट की गलती से अप्रार्थी नम्बर 1 की खातेदारी मे अंकन होने से अप्रार्थी नम्बर 01 वादी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया, जबरन आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा होकर अन्य को हस्तान्तरण करने की धमकी दे रहे है इस कारण अप्रार्थी नम्बर 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से ता फैसला मूल वाद तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से प्रार्थी की भूमि को अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम लग जाने से उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी अपने हक की उद्घोषणा करवाने व अपनी खातेदारी मे करवाने का अधिकारी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी नम्बर 1 का खसरा नम्बर 2453 रकबा 1.74 है0 में से 1.54 है0 भूमि की हद तक अप्रार्थी नम्बर 1 का नाम हटवाया जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड का दुरूस्त करवाया

ना प्रार्थी के लिये आवश्यक है। इस कारण वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश है। वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 735 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 920 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2448 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2449 रकबा 4.11 है0, खसरा नम्बर 2453 रकबा 1.74 है0, खसरा नम्बर 2454 रकबा 0.78 है0 भूमि अप्रार्थी नम्बर 2 के यहां ऋण होने से ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी नम्बर 1 को ता फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो स्वंय एवं अन्य के माध्यम से ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2453 रकबा 1.74 है0 मे से रकबा 1.54 है0 भूमि की हद तक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, अन्य हस्तान्तरण नहीं करे तथा सदा सर्वदा के लिये पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामदेव वर्मा अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 मे वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना मात्र स्वीकार है शेष तथ्य गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टया केस, सविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति नही है बल्कि प्रतिपक्षी के पक्ष मे प्रबल सिद्ध है। प्रार्थी को उक्त वाद पेश करने का कोई अधिकार नही है और वाद प्रथम दृष्टिया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। इस चरण मे वर्णित साबिक भूमि कुल किता–8, कुल रकबा 52 बीघा 6 बीस्वा भूमि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी मे पूर्व मे होना तथा हिस्सा आधा आधा होना स्वीकार है परन्तु सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी के मध्य स्वेच्छा व सहमति से बंटवारा कर अपना अपना हिस्सा प्राप्त कर चुके थे जिस पर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी वर्षो से काबिज है और जमाबंदी मे प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने स्वंय ने भू प्रबंध के समय सेटलमेंट अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय की सहमति व इच्छा अनुसार ही अपने हिस्से की जमीन की पृथक विभाजन के अनुसार अपनी खातेदारी मे लगवा ली थी जिससे पर्चा खतोनी के समय प्राथी संतुष्ट था और प्रार्थी को जो भूमिया प्राप्त हुई थी तथा जिस पर प्रार्थी का कब्जा था और उसकी खातेदारी मे भू प्रबंध के समय उक्त जमीन लगा दी थी, की कोई उज्रदारी व आपत्ति प्रस्तुत नही की तथा भू प्रबंध के समय प्रार्थी की खातेदारी मे जो भूमि जो भूमि उसकी खातेदारी मे लगा दी थी उस पर आज भी प्रार्थी काबिज चला आ रहा है तथा 30 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद भी आज तक भी प्रार्थी ने अपनी खातेदारी मे लगी हुई भूमि बाबत कोई आपत्ति आज तक प्रस्तुत नही की और प्रार्थी ने सेटलमेंट अधिकारियो के विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नही की जिससे स्पष्ट है कि भू प्रबंध के समय सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की और प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी के मध्य पृथक–पृथक जमाबंदी दर्ज की है जो सही है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस तरह से वर्णित किया गया

गलत है, स्वीकार नही है। भू प्रबंध कार्यवाही के समय सेटलमेंट के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर मौजूद होते है और पक्षकारान की मौजूदगी मे ही उनकी सहमति के अनुसार व कब्जे अनुसार वादग्रस्त भूमिया पृथक पृथक जमाबंदी मे अंकित की गई थी। प्रार्थी ने अधिक उपजाऊ व चाही जमीन अपने बंटवारे मे लेकर कब्जे मे लेकर जमाबंदी मे दर्ज करवायी थी तथा शेष भूमिया प्रतिपक्षी को हिस्से मे मिलकर कब्जे मे रहकर उसकी खातेदारी मे लगायी थी तभी से प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनी खातेदारी की भूमि मे काफी मेहनत व धन खर्च कर अपनी खातेदारी की भूमियो को विकसित करके काबिल काश्त व उपजाऊ बनाया है जिस पर प्रतिपक्षी काबिज खातेदार है। प्रार्थी के मन मे बेइमानी आने के कारण प्रार्थी बदनियति से प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि को छीनना चाहता है और प्रतिपक्षी को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करना चाहता है जबकि मौके पर विभाजन के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है और वर्षो पूर्व विभाजन होने के पश्चात अब मनगढ़न्त व बनावटी तथ्यों पर प्रार्थी ने उक्त झूठा निराधार तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 गलत है, स्वीकार नही है। इस चरण मे अंकित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना गलत है, स्वीकार नही है। खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0 पर सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिपक्षी संख्या 1 काबिज है और रिकार्डेड खातेदार है और मौके पर प्रतिपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस तरह से वर्णित किया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने इस चरण मे कही भी स्पष्ट नही किया कि कौनसे साबिक नम्बर से कौनसे नये खसरा नम्बर बने है। मात्र नम्बर लिखने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होता है। प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र मे पूर्व से स्पष्ट साबिक खसरा नम्बर से प्रत्येक खसरा नम्बर का स्पष्ट हाल खसरा नम्बर वर्णित करना चाहिये था जो प्रार्थी ने बदनियति से वर्णित नही किया क्योंकि पूर्व मे प्रार्थी के कथनानुसार जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 व 2029 से 2032 मे प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी मे केवल 52 बीघा 6 बीस्वा जमीन अंकित होना बताते है जबकि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र कुल 14.30 है0 भूमि का आधी आधी प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी की भूमि बताकर लाया है जो भूमि 14.30 है0 भूमि पूर्व प्रार्थी द्वारा साबिक भूमि 52 बीघा 6 बीस्वा से अधिक है जिसको प्रार्थी किसी प्रकार से स्पष्ट नही कर पाया कि प्रार्थी 14.30 है0 मे किस प्रकार आधी भूमि का हकदार है। इस प्रकार प्रार्थी बेइमानी पूर्वक झूठे तथ्य वर्णित करते हुये लालचवश प्रतिपक्षी की जमीन को हड़पने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 गलत है, स्वीकार नही है। भूमि खसरा नम्बर 2877 रकबा 1.74 है0 की खातेदारी किसी प्रकार से सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम गलत अंकित नही की बल्कि यह भूमि प्रतिपक्षी के हक व अधिकार एवं कब्जे व विभाजन मे वर्षो पूर्व आयी हुई भूमि है जिसका वर्षो पहले ही प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे चली आ रही है और प्रतिपक्षी संख्या 1 ने काफी पैसा लगाकर उक्त भूमि को विकसित कर काबिज काश्त कर उपयोग करता आ रहा है। इस भूमि मे प्रार्थी का कोई लेना देना नही है और ना ही

जना काश्त है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी प्रतिपक्षी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करा सकता है तथा प्रार्थी इस भूमि का सहकृषक भी नही है इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार भी नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 जिस तरह से वर्णित किया है गलत है, स्वीकार नही है। सेटलमेंट अधिकारी द्वारा प्रार्थी की कोई भूमि प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम गलत रूप से अंकित नही की बल्कि सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी की सहमति व स्वेच्छा से विभाजन के अनुसार प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम उक्त वर्णित भूमि खातेदारी मे अंकित कर दी गई थी इस कारण प्रार्थी प्रतिपक्षी संख्या 1 की खातेदारी मे अंकित खसरा नम्बर 2453 रकबा 1.74 है0 मे से 1.54 है0 भूमि की हद तक राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही है और प्रार्थी सेटलमेंट आदेश से पाबंद है इस आधार पर प्रार्थी प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि को अपनी खातेदारी मे खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नही है और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। इस चरण मे वर्णित भूमि का खातेदार व काबिज प्रतिपक्षी संख्या 1 होने से तथा उक्त प्रार्थी का कोई सरोकार व संबंध नही होने से प्रतिपक्षी संख्या 2 को नाजायज रूप से दबाव बनाने की नियत से अनावश्यक पक्षकार बनाया है इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। **अतिरिक्त कथन** :–प्रार्थी वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि को कोई चेलेंज नही किया है, मात्र प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि को चेलेंज किया है इस प्रकार वादी स्वंय बंटवारे को प्रथम दृष्टिया स्वीकार करता है इस आधार पर वादी प्रार्थी को उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र सेटलमेंट के 30 वर्ष पश्चात बिना किसी आधार के लालचवश जमीनो की कीमते बढ़ जाने के कारण पेश किया है जो वाद मियाद बाहर एवं बिना किसी हक व अधिकार के पेश किया है इसलिये प्रथम दृष्टया उक्त वाद चलने योग्य नही है और खारिज किये जाने योग्य है इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज किये जाने योग्य है। वाद एवं प्रार्थना पत्र मे जिस भूमि बाबत अनुतोष प्रार्थी वादी ने चाहा है वह भूमि सेटलमेंट के समय ही 30 वर्षो पहले ही प्रार्थी व प्रतिपक्षी की खातेदारी मे लग चुकी है और प्रार्थी व प्रतिपक्षी अपनी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार है इस आधार पर प्रार्थी, प्रतिपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा खातेदार के विरूद्ध काननून प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है बल्कि खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या का उक्त भूमि में हिस्सा 1/2–1/2 था। सेटलमेंन्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार व आदेश के विभाजन कर प्रार्थी के हिस्से में 5.61 है0 भूमि लगा दी जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के 8.69 है0 भूमि लगा दी गई जो कि गलत है। जबकि दोनो के 7.15 –7.15 है0 भूमि लगानी चाहिए थी परन्तु अप्रार्थी के 1.54 है0 भूमि ज्यादा लगा दी गई जिसके कारण यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वह ख. नं. 2453 रकबा 1.74 भूमि की हद तक कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, अन्य को हस्तान्तरण नहीं करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि प्रार्थी ने झूठे तथ्यो पर आधारित वाद पेश किया है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 30 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है। सेटलमेंन्ट से पूर्व कुल किता 8, 52 बीघा के हैक्टेयर में 14 है0 नहीं होते है। ख. नं. 2877 साबिक ख. नं. 1337 मिन से बना है जो हमारे पिताजी की खातेदारी में नहीं था। पैमाइश के समय दोनो पक्षों ने सहमति से बंटवारा किया था जिसमें उपजाऊ और काबिज काश्त की जमीन प्रार्थी ने स्वेच्छा से ली थी परन्तु अब जमीन की कीमते बढ जाने के कारण प्रार्थी ने वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो बिल्कुल भी चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी अपनी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी बदनियति से खातेदारी की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल करना चाहता है जो न्यायिक सिद्वान्तो के विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे जमाबन्दी संम्वत 2025–29 व जमाबन्दी सम्वत 2029–32 का अवलोकन किया। उक्त साबिका भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का कथन है कि ख. नं. 2877 रकबा 1.74 है0 के नये ख. नं. 2453 रकबा 1.74 है0 में से 1.54 है0 भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 खुर्द बुर्द करना चाहता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के अनुसार ख. नं. 2877 विरासत से नहीं आया बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 ने यह साबित नहीं किया कि उसके पास अतिरिक्त भूमि कहां से आई है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। ख. नं. 2877 रकबा 1.74 है0 के नये ख. नं. 2453 रकबा 1.74 है0 का निर्णय नियमित वाद में साक्ष्य व सबूत के माध्यम से हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 2453 रकबा 1.74 है0 में से 1.54 है0 भूमि वाके ग्राम थांवला तहसील देवली में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में मजामहत व बाधा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष पक्षकारान मूल वाद तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति वाद के साथ पृष्ठ में हमफिता हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली